प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 21.05.2026

संतकबीरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई:- डग्गामार और स्लीपर बसों के खिलाफ अभियान में 02 बसें सीज, कई के चालान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ संतकबीरनगर पुलिस / एआरटीओ0 द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

आज दिनांक 21.05.2026 को जेडएफडी (ZFD) प्रोग्राम के अंतर्गत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ए.आर.टी.ओ. (ARTO) संतकबीरनगर *प्रियंवदा सिंह*, क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री अमित कुमार* एवं यातायात प्रभारी *श्री परमहंस* द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जनपद के विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों और स्लीपर बसों की सघन चेकिंग की।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु:-

- ***02 बसें सीज:-*** चेकिंग के दौरान आवश्यक दस्तावेज न होने और नियमों का घोर उल्लंघन पाए जाने पर 02 अवैध बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया।
- ***प्रेशर हॉर्न और प्रदूषण पर कार्रवाई:-*** ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अवैध प्रेशर हॉर्न और तय मानकों से अधिक धुआं छोड़ने वाली (प्रदूषण फैलाने वाली) बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए।

संयुक्त टीम द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनपद की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के अवैध वाहन संचालन, डग्गामार बसों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए इस प्रकार के औचक चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **थाना बेलहरकला** पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 21.05.2026 को **थाना बेलहरकला** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/2026 धारा 137(2), 87, 70(2), 331(3) बीएनएस व धारा 5G/(VI) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को भबसा पुलिया के पास से अभिरभा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 21.05.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 संतोष चौहान, का0 ओमप्रकाश चौरसिया।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. महेन्द्र पुत्र शोभाराम उर्फ सियाराम निवासी ग्राम मलौली 02. जगन्नाथ पुत्र स्व0 माधवशरण निवासी हैसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, का0 रवीन्द्र कुमार निषाद, का0 आशुतोष पाण्डेय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 21 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8290 द्वारा पति- पत्नी का पारिवारिक विवाद में घायल महिला को भिजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 8290 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत लेड़ुआ महुआ से कालर द्वारा पति- पत्नी का पारिवारिक विवाद में घायल 01. महिला (नसरीन पत्नी इरफान निवासिनी लेड़ुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 शिवशंकर चौबे, हो0गा0 चा0 अजय त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 305 वाहनों से 3,19,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 305 वाहनों से 3,19,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री दुर्गेश पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 103/2026 धारा 2(ख)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अशरफ उर्फ असगर पुत्र इलियास निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौली जनपद आजमगढ़ को आज दिनाँक 21.05.2026 को आरटीओ कार्यालय गेट खलीलाबाद से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-* अशरफ उर्फ असगर पुत्र इलियास निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौली जनपद आजमगढ़।**

आपराधिक इतिहास अशरफ उर्फ असगर
01- मु0अ0सं0 282/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
02- - मु0अ0सं0 107/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 तथा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, हे0का0 शम्स तबरेज, हे0का0 अनुज कुमार राय।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 145/2026 धारा 69,115(2),352, 351(3) बी0एन0एस0 के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रवि गौड़ पुत्र रामजनक निवासी पिठिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 21.05.2026 को भटपुरवा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि थाना बेलहरकला पर वादी की पुत्री के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनाँक 20.05.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कन्नौजिया, का0 मुकेश कुमार।